



2026:AHC:178719

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29860 वर्ष 2026

मीरा देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदिका की ओर से अधिवक्ता : अजय सिंह सेंगर, विजय सिंह सेंगर
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, अपराध संख्या 231 सन् 2024, धारा 306, 323 भारतीय दंड संहिता, थाना औरैया, जनपद औरैया के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदिका के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 6.5.2024 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 8.5.2024 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक है। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के कारण दम घुटना है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित आत्महत्या-पत्र, साक्षी रवि मोहन चतुर्वेदी के बयान तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्व आवेदिका के विरुद्ध स्थापित नहीं होते हैं। आवेदिका द्वारा मारपीट अथवा उत्पीड़न किए जाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



के मात्र आरोप, आवेदिका की ओर से आत्महत्या के लिए उकसाने अथवा जानबूझकर सहायता किए जाने के किसी सकारात्मक कृत्य के अभाव में, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं करेंगे। अपने तर्क के समर्थन में आवेदिका के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654 वर्ष 2017) दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत तथा अभिनव मोहन देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185 वर्ष 2024) दिनांक 18.8.2025 को निर्णीत मामलों के निर्णयों का संदर्भ दिया है। आवेदिका एक महिला है तथा 9.6.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित आत्महत्या-पत्र, साक्षी रवि मोहन चतुर्वेदी के बयान तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्व आवेदिका के विरुद्ध स्थापित नहीं होते हैं। आवेदिका से संबंधित ऐसा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र करने अथवा आत्महत्या किए जाने में जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। आवेदिका एक महिला है और उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदिका वर्तमान में दो माह से अधिक अवधि से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है, विशेष रूप से तब, जब राज्य की ओर से ऐसी कोई युक्तियुक्त आशंका सामने नहीं लाई गई है कि जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में आवेदिका साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी अथवा साक्षी को भयभीत करेगी। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त वाद में सम्मिलित आवेदिका, **मीरा देवी** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए कि:

- (i) आवेदिका अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी;
- (ii) आवेदिका अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी;
- (iii) आवेदिका विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगी।

7. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

24 अगस्त, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।